UPFR050022142022

Civil Suit/449/2022

Anil Kumar Gupta Vs. Rajeev KUmar Gupta

न्यायालय – प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय सं० 8 ,फर्रूखाबाद।

पीठासीन– जयवीर सिंह ––––उ०प्र० न्यायिक सेवा। (J.O. Code No. UP2523)

मूलवाद संख्या – 449/2022

अनिल कुमार गुप्ता **बनाम** राजीव कुमार गुप्ता आदि।

दिनांकः–18.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पैरवी हेतु नियत है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वादी विगत कई तिथियों में लगातार अनुपस्थित है। वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहा है। वादी को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को उक्त वाद के संचालन में कोई रूचि शेष नहीं रह गयी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(जयवीर सिंह)
प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०),
न्यायालय सं० 8, फर्रूखाबाद।

Digitally signed by JAIVEER SINGH
Date: 2026.03.18 15:55:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court